राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 252/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019 निर्णय दिनांक :

राजस्थान सरकार बनाम गुलाराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीया अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गुलाराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 274 कुल रकबा 26.72 हैक्टेयर में से रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर व बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी घर पर उपस्थित नही होने से अप्रार्थी के घर पर नोटिस की प्रति चस्पा कर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुयी है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थी ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अप्रार्थीया को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 274 कुल रकबा 26.72 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगाान 5.00 का पच्चास गुणा से राशि 250/— अक्षरे दो सौ पच्चास रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/20 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानन्द रूयल)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर —राज0

तहसीलदार कुचामन
जिला नागौर

माँग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 38
वर्ष 2020-21
रा.जुर्माना —
क.निलामी —
गोचर जुर्माना 250
प्रा.पैदावार —
तराले कुचामन सिटी